सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति   दिनांक 21.03.2024

जनपद –आजमगढ़

01.थाना- बिलरियागंज: गैंग डी-87 का गैंग लीडर/शातिर दुर्दान्त गो-तस्कर/हिस्ट्रीशीटर अपराधी नौशाद पुलिस मुठभेड़ में घायल व एक अन्य गो-तस्कर अपराधी गिरफ्तार; 02 तमंचा व 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस .315 व 01 मोटरसाकिल बरामद

गिफ्तारी का विवरण (पुलिस मुठभेड़)-

दिनांक- 20.03.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा नसीरपुर मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी कि सूचना मिली कि एक मोटर साईकल पर सवार दो बदमाश जो शातिर अपराधी व गो-तस्कर है, मोहम्मदपुर की तरफ से नसीरपुर की तरफ आने वाले है, जो किसी घटना को अन्जाम देने की फिराक में है , इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल **नसीरपुर मोहम्मदपुर रोड पर बिलरियागंज मोड़ तिराहे के पास** पहुँचकर घेरा बन्दी की गयी कि मोहम्मदपुर की तरफ से एक मोटर साईकिल आती दिखाई दी, टार्च की रोशनी में जिस पर दो व्यक्ति सवार दिखाई दिये जिन्हे रोकने के लिए इशारा किया गया तो पुलिस को देखकर एक बदमाश ने पुलिस पार्टी को लक्ष्य करते हुए जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, पुलिस बल द्वारा पर्याप्त चेतावनी के बाद भी फायरिंग की गयी जिसके पश्चात पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश के बाए पैर में गोली लगी है, उपचार हेतु जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।

➡ घायल बदमाश की पहचान नौशाद पुत्र अंशार निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष के रुप में हुई ।

➡ दुसरे गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शहनवाज पुत्र मुस्तकीम निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष के रुप में हुई । दोनो अभियुक्तों को समय लगभग 01.40 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ अभियुक्तों के कब्जे से 02 देशी तमन्चा, 02 खोखा कारतुस, 03 जिन्दा कारतुस 315 बोर, 850/- रुपये व 01 मोटर साइकिल बरामद हुआ।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 85/2024 धारा 307/24 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ घायल बदमाश नौशाद गैंग डी-87 का गैंग लीडर है, थाना बिलरियागंज का हिस्ट्रीशीटर (**HS No-53A**) व टाप टेन अपराधी है। अभियुक्त नौशाद हत्या, गोतस्करी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधी है। इसके विरूद्ध पूर्व में गैगस्टर सहित कुल 15 मुकदमें पंजीकृत है।

➡ अभियुक्त शहनवाज गोतस्करी व गैगस्टर सहित कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है।

02.थाना- तहबरपुर: खुद की पत्नी हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 18.03.2024 को थाना तहबरपुर पर वादी सुदीप यादव पुत्र मधुबन यादव ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा की बहन की शादी वर्ष 2013 में कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर निवासी ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी जिससे दो बच्चे है । वादी की बहन निजी व्यवसाय ब्यूटी पार्लर व जनरल स्टोर की दुकान चलाकर जीवकोपार्जन व धनार्जन करती थी । जमीन खरीदने के नाम पर उसके पति कन्हैया व अन्य लोग रुपये माँग रहे थे जबकि इसके पूर्व दो लाख रूपये दिया था अब रुपये देने मे असमर्थता जताई उसके लिए बहन को शारीरिक व मानसिक यातनाये भी दी गयी अन्त में दिनांक 17-03-2024 को समय लगभग दिन 1.30 बजे पति कन्हैया लाल पुत्र विद्याधर , ससुर विद्याधर पुत्र सुक्खू , देवर जयहिन्द पुत्र विद्याधर तथा सास उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर ने उसकी हत्या कर असलियत छिपाने के लिए उसके शव को घर मे ही जला दिये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/2024 धारा 302/201 भादवि विरूद्ध 1. कन्हैया लाल यादव पुत्र विद्याधर पति 2. विद्याधर पुत्र सुक्खू ससुर 3.जयहिन्द पुत्र विद्याधर देवर 4. उर्मिला देवी पत्नी विद्याधर सास समस्त साकिनान ग्राम आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष मधुपनिका द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 20/03/2024 को थानाध्यक्ष तहबरपुर मधुपनिका मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कन्हैया यादव पुत्र विद्याधर यादव सा0 आतापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को ओहनी अन्दर पास से समय 11.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नही था, जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा उसको कई बार समझाया गया, परन्तु उसके अन्दर कोई सुधार नहीं हुआ। इस बात की जानकारी आसपास के लोगो के होने से मेरी काफी बदनामी हो रही थी। मै इन सभी बातो से आवेश में आकर दिनांक 17.03.2024 को समय 11.00 बजे के करीब उसे काफी मारा पीटा उसके पश्चात उसके ऊपर डीजल डालकर माचीस लगाकर जला दिया जिससे वह काफी जल गयी, इस घटना में मेरे माता-पिता भी सम्मलित रहें। वन्दना के आग से जल जाने के बाद मैने हल्ला मचाया कि आस-पास के लोग आ गये हम लोग वन्दना को तहबरपुर सरकारी अस्पताल में ले गये जहां डाक्टर ने वन्दना को मृत घोषित कर दिया।

04.थाना- महराजगंज: हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

➡ दिनांक- 10.08.2006 को वादी मुकदमा भोरिक यादव पुत्र गनेश यादव निवासी परशुरामपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि दिनांक- 06.08.2006 को विपक्षी 1. सुरेश चौरसिया पुत्र बरसाती निवासी जमिलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 2. बाल कुरैशी पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज आजमगढ़, 3. जब्बार पुत्र इलियास निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा के भाई राजकुमार को वसुली की बात को लेकर हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया था।

➡ नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 200/2006 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

➡ अभियुक्त जब्बार पुत्र इलियास उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है।

➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡ उपरोक्त मुकदमे में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➡आज दिनांक- 20.03.2024 को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-05 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सुरेश चौरसिया पुत्र बरसाती निवासी जमिलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़, 2. बाल कुरैशी पुत्र उस्मान कुरैशी निवासी जुड़ा खुर्द थाना महराजगंज आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद – बलिया

1. थाना- पकड़ी जनपद बलिया पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 19.03.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 51/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 से सम्बन्धित 01 नफर जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री देव रंजन वर्मा महोदय जनपद बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों / वांछित / फरार अभियुक्तों / वारण्टी अभियुक्तों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर जनपद बलिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना पकड़ी पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता।

दिनांक 19.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के कुशल मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/ वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी अशोक सिंह पुत्र स्व0 जगरनाथ सिंह ग्राम मेऊली कनासपुर उम्र 55 वर्ष अपने दरवाजे पर मौजूद है अभी चला जाय तो पकड़ा जा सकता है उक्त सूचना के क्रम में उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव मय हमराहियान पुलिस फोर्स के जिला बदर अपराधी अशोक सिंह उपरोक्त के घर पर जाकर जिला बदर अपराधी को अपराध का बोध कराते हुए नियमानुसार अपराधी अशोक सिंह उपरोक्त को उसके घर से समय 23.00 बजे पर गिरफ्तार कर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जिला बदर अपराधी अशोक सिंह पुत्र स्व0 जगरनाथ सिंह ग्राम मेऊली कनासपुर उम्र 55 वर्ष

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 51/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970

अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में पंजीकृत अभियोगो का विवरण-

1. मु0अ0सं0 119/09 धारा 147, 323, 325, 452, 504, 506 भादवि थाना पकड़ी, बलिया

2. मु0अ0सं0 03/18 धारा 504, 506 भादवि थाना पकड़ी, बलिया

3. मु0अ0सं0 55/19 धारा 03 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम

4. मु0अ0सं0 02/21 धारा 147, 148, 149, 308, 323, 325, 336, 504 भादवि थाना पकड़ी, बलिया

5. एन0सी0आर0 87/16 धारा 323/504/506 भादवि थाना पकड़ी, बलिया

6. धारा 110G दं0प्र0सं0 दिनांक 17.04.2021 थाना पकड़ी, बलिया

7. धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना पकड़ी, बलिया

8. श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) बलिया महोदय के आदेश दिनांक 08.02.2024 को वाद संख्या 00724/2021, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202115090000724 सरकार बनाम अशोक सिंह अंतर्गत धारा 3(3) अधिनियम उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत छः माह के लिये जिला बदर की कार्यवाही।

2.थाना फेफना जनपद बलिया पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 अदद बकरी सहित 02 अदद अवैध चाकू बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री देव रंजन वर्मा द्वारा अपराध के समूल उन्मूलन एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फेफना श्री गजानन्द चौबे के नेतृत्व मे थाना फेफना पर वादी श्री शिवनाथ यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव सा0 कपूरी थाना फेफना जनपद बलिया के लिखित तहरीर बावत स्वयं की 03 बकरीयो को अभियुक्तगण 1. मनीष यादव पुत्र राजनाथ निवासी कपुरी थाना फेफना जन0 बलिया 2. अच्छेलाल उर्फ बाछा चौधरी पुत्र स्व0 रघुबीर चौधरी निवासी कपुरी थाना फेफना जन0 बलिया 3. प्रमोद राजभर पुत्र स्वामीनाथ राजभर निवासी गंगहरा थाना फेफना जन0 बलिया 4. अमरनाथ यादव उर्फ सिपाही पुत्र शिवपूजन यादव निवासी रामगढ़ थाना फेफना जन0 बलिया द्वारा चोरी करना मना करने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देना का अभियोग मु0अ0सं0 83/24 धारा 382/506 भा.द.वि. पंजीकृत कराया गया, जिसमें विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1. मनीष यादव पुत्र राजनाथ निवासी कपुरी थाना फेफना जन0 बलिया 2. अच्छेलाल उर्फ बाछा चौधरी पुत्र स्व0 रघुबीर चौधरी निवासी कपुरी थाना फेफना जन0 बलिया 3. प्रमोद राजभर पुत्र स्वामीनाथ राजभर निवासी गंगहरा थाना फेफना जन0 बलिया 4. अमरनाथ यादव उर्फ सिपाही पुत्र शिवपूजन यादव निवासी रामगढ़ थाना फेफना जन0 बलिया को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण मनीष व अच्छे लाल उर्फ बाछा चौधरी उपरोक्त के पास से 01-01 अदद चाकू व स्कार्पियो नं0 UP 32 BZ 8118 के अन्दर से 03 अदद चोरी की बकरी के साथ दिनांक 20.03.2024 को उ0नि0 श्री राघवराम यादव, उ0नि0 श्री सागर कुमार रंगू मय फोर्स के थम्मनपुरा पुलिया के पास से समय करीब 02.24 बजे गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी के साथ साथ अभियुक्तगण मनीष यादव व अच्छे लाल उर्फ बाछा के विरुद्ध मु0अ0सं0 89/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय बलिया रवाना किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनीष यादव पुत्र राजनाथ निवासी कपुरी थाना फेफना जनपद बलिया

2. अच्छेलाल उर्फ बाछा चौधरी पुत्र स्व0 रघुबीर चौधरी निवासी कपुरी थाना फेफना जनपद बलिया

3. प्रमोद राजभर पुत्र स्वामीनाथ राजभर निवासी गंगहरा थाना फेफना जनपद बलिया

4. अमरनाथ यादव उर्फ सिपाही पुत्र शिवपूजन यादव निवासी रामगढ़ थाना फेफना जनपद बलिया

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-83/2024 धारा 382/506/411 भादवि0 थाना फेफना जनपद बलिया

2. मु0अ0सं0-89/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेफना बलिया

बरामदगी-

1. 03 अदद चोरी की बकरी

2. 02 अदद चाकू

अभियुक्त मनीष यादव पुत्र राजनाथ का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-83/2024 धारा 382/506/411 भादवि0 थाना फेफना जनपद बलिया

2. मु0अ0सं0-89/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेफना बलिया

अभियुक्त अच्छेलाल उर्फ बाछा चौधरी पुत्र स्व0 रघुबीर चौधरी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-83/2024 धारा 382/506/411 भादवि0 थाना फेफना जनपद बलिया

2. मु0अ0सं0-89/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेफना बलिया

अभियुक्त प्रमोद राजभर पुत्र स्वामीनाथ राजभर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-83/2024 धारा 382/506/411 भादवि0 थाना फेफना जनपद बलिया

अभियुक्त अमरनाथ यादव उर्फ सिपाही पुत्र शिवपूजन यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-83/2024 धारा 382/506/411 भादवि0 थाना फेफना जनपद बलिया

3. थाना कोतवाली जनपद बलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .303 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री देव रंजन वर्मा महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 19.03.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम के उ0नि0 ज्ञान प्रकाश तिवारी व उ0नि0 रामअनुज मय हमराह हे0का0 सचिन सिंह , का0 रामचन्द्र , का0 विक्रम सिंह द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर बयासी चौराहा के पास से समय करीब 20.45 बजे अभियुक्त उपेन्द्र ततवा पुत्र अक्षय कुमार निवासी धनहा थाना सिमरी जिला बक्सर बिहार उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली जनपद बलिया पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 131/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बलिया

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उपेन्द्र ततवा पुत्र अक्षय कुमार निवासी धनहा थाना सिमरी जिला बक्सर बिहार उम्र 24 वर्ष

बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा .303 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर